

UPPG120017092022



न्यायालय सिविल जज (जू0डि0) लालगंज, प्रतापगढ़।

मूलवाद -411/2022

देवेन्द्र कुमार। **बनाम** गांवसभा बीरसिंह आदि।

दिनांक:-10.08.2022

प्रार्थना पत्र 6ग2 अंतर्गत आदेश 39 नियम 1 जा0दी0 मय शपथपत्र 7ग2 पर सुना तथा वादी की ओर से अपने प्रार्थना पत्र के कथनों के समर्थन में सूची 9ग1 से दाखिल प्रलेखीय प्रपत्रों का अवलोकन किया। उक्त प्रपत्रों के अवलोकन एवं मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों में प्रथम दृष्टया बिना प्रतिवादीगण को सुनवाई का अवसर दिये एकपक्षीय अस्थाई निषेधाज्ञा निर्गत किये जाने का आधार पर्याप्त नहीं है।

अतः प्रतिवादीगण को दिनांक **12.09.2022** नियत करते हुए प्रार्थनापत्र 6ग2 के आपत्ति निस्तारण हेतु नोटिस निर्गत हो। पैरवी अंदर 3 दिवस की जावे।

सिविल जज (जू0डि0)
लालगंज अझारा, प्रतापगढ़।

निस्तारण प्रार्थना पत्र 8ग2

प्रार्थनापत्र 8ग2 आदेश 26 नियम 9 जा0दी0 प्रस्तुत हुआ। आधार पर्याप्त है, स्वीकृत। कमीशन हेतु पैरवी अंदर सप्ताह हो। पैरवी उपरांत वरीयताक्रम के अधिवक्ता कमिश्नर/अमीन को रिट परवाना जारी हो। नियुक्त कमिश्नर को निर्देशित किया जाता है कि नियमानुसार कमीशन कार्य सम्पादित करें एवं कमीशन आख्या मय पैमाना, नक्शा एवं चौहद्दी नियत तिथि तक दाखिल करें।

सिविल जज (जू0डि0)
लालगंज अझारा, प्रतापगढ़।